हिरासत में लिया गया।

★ **प्रथम गोलमेज सम्मेलन (12 सितम्बर 1930) :-** सेंट जेम्स पैलेस

- 1930 ई. में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा प्रधान मंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की।
- इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 57 ब्रिटिश भारत के, 16 रियासतों के, 16 ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य थे। रियासतों में अलवर, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, बड़ौदा, ग्वालियर, मैसूर के प्रतिनिधि थे।
- कांग्रेस एवं भारत के व्यापारी वर्ग ने इसका वहिष्कार किया। भारतीय पूंजीपतियों के एकमात्र प्रतिनिधि होमीमोदी थे। जबकि हिंदू महासभा के नेता में मुंजे और जयकर, नरमदल के नेताओं में सप्रू, चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री, मुस्लिम नेताओं में आगा खाँ, मुहम्मद सफी, मुहम्मद अली, फजलूल हक और जिन्ना थे, सिक्ख नेताओं में सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो-इंडियन में के.टी. पाल जबकि वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में फजलै हुसैन थे। हरिजन प्रतिनिधि अम्बेडकर तीनों सम्मेलन में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त कुछ देशी राजवाड़ों के भी प्रतिनिधि थे।
- इस सम्मेलन में संघीय व्यवस्था पर विचार किया गया। तय हुआ कि ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को मिलाकर संघ का निर्माण होगा। कुछ मूलभूत संरक्षण के अतिरिक्त प्रांतों को स्वायत्तता दी जायेगी।
- दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद सम्मेलन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया।

★ **गाँधी इरविन समझौता (5 मार्च 1931) :-**

- कांग्रेस की अनुपस्थिति में प्रथम गोलमेज सम्मेलन राम के बिना रामलीला सिद्ध हुआ। अतः अब ब्रिटिश कांग्रेस से समझौता की ओर उन्मुख हुए। तेजबहादुर सप्रू और जयकर की मध्यस्थता से 5 मार्च 1931 को **'गाँधी-इरविन'** समझौता हुआ, जिनमें प्रमुख मुद्दे थे :-
  - सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाना था।
  - प्रत्यक्ष राजनीति हिंसा में भाग नहीं लेने वाले कैदियों की रिहाई।
  - जब्त की गई संपत्ति को वापस किया किया जाना था अगर वह तीसरी पार्टी को नहीं बेंची गई हो।
  - नौकरी से इस्तीफा देने वाले सरकारी अधिकारियों के साथ रियायत।
  - कुछ नियंत्रण के साथ धरना देने के भी अधिकार थे।
  - समुद्र के आस-पास निवास करने वाले व्यक्ति की आवश्कता भर नमक बनाने का अधिकार।
  - द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- गाँधीजी ने पुलिस की ज्यादतियों की जाँच के लिए कमीशन बैठाने की मांग की, परंतु इरविन ने इंकार कर दिया। नेहरू एवं बोस ने इस समझौते की आलोचना यह कहकर की कि गाँधीजी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। के.एम. मुंशी ने इसे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युगप्रवर्तक घटना कहा। युवा कांग्रेसी इसलिए असंतुष्ट थे कि गाँधीजी भगतसिंह, राजगुरू एवं सुखदेव को फाँसी से नहीं बचा सके।
- 1931 का वर्ष कांग्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसी वर्ष समाजवादी प्रभाव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कराँची में सबसे पहले भगत सिंह और उसके साथियों के लिए संवदेना प्रकट की गई। कराँची कांग्रेस में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। इसमें 20

Scanned By KagazScanner

सूत्री समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया गया। इस अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मूलभूत और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा।

★ **द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (सितंबर 1931) :-**

- गाँधी-इरविन समझौता के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गाँधीजी एस.एस. राजपूताना नामक जहाज से 12 सितंबर को लंदन पहुँचे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एनीबेसेंट एवं मदनमोहन मालवीय अपने व्यक्तिगत कार्यों से वहाँ गये हुए थे। एनीबेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया।
- दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया। मुसलमानों के अतिरिक्त दलित वर्ग, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीयन सभी पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे। इतना तक कि 5 अक्टूबर 1931 को गाँधीजी सभी मांगे मानने के लिए तैयार थे बशर्ते मुस्लिम लीग कांग्रेस के स्वराज की मांग का समर्थन करे। लीग ने समर्थन देने से इंकार कर दिया और वार्ता विफल हो गई। अब देशी राज्य भी संघ में हिस्सा लेने से इंकार कर चुके थे। गाँधीजी निराश होकर भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी।
- गाँधी-इरविन समझौता से जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता एवं जनता का मनोबल ऊँचा हुआ था, वहीं ब्रिटिश अधिकारी इसे अपमानजनक मान रहे थे। क्योंकि इस समझौते में कांग्रेस को बराबरी का दर्जा मिल गया था। नए वायसराय वेलिंगटन मौके की ताक में था। उसने दमनचक्र जारी कर दिया। अंत में मजबूर होकर कांग्रेस ने जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया। कांग्रेस एक गैरकानूनी संस्था घोषित कर दी गई और सरकार का दमनचक्र तीव्र हो गया। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गाँधीजी ने 7 अप्रैल 1934 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। सुभाषचन्द्र बोस एवं सरदार पटेल ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि "गाँधीजी ने पिछले 13 वर्ष की मेहनत तथा कुर्बानियों पर पानी फेर दिया।" फलस्वरूप गाँधीजी कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से अलग हो गए।

★ **तृतीय गोलमेज सम्मेलन (नवम्बर 1932) :-**

- 17 नवम्बर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच कांग्रेस की अनुपस्थिति में लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत सचिव सैमुअल होर गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे।
- गाँधीजी गिरफ्तार कर लिए गए। अब रैम्जे मैकडोनाल्ड ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट और तदनुरूप गोलमेज सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर 1932 ई. में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की।

★ **असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर :-**

- असहयोग आंदोलन स्वराज के लिए था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज के लिए।
- असहयोग का उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था, जबकि सविनय अवज्ञा का उद्देश्य कुछ विशिष्ट कानूनों के उल्लंघन द्वारा सरकार की कार्यवाही को ठप्प करना था।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यवसायिक वर्ग की भूमिका प्रबल रही।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन में छात्रों व बुद्धिजीवियों की वह भागीदारी नहीं रही, जितना असहयोग में रही थी। किंतु किसानों की अभूतपूर्व भागीदारी ने उस क्षति की पूर्ति कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता

Scanned By KagazScanner

स्थापना की जायेगी। 2) इस संविधान निकाय के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय परिषदों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अनुसार होगा और जो प्रांत इससे सहमत नहीं होगा उसे अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार दिया जायेगा। भारत के सभी दलों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। लीग ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि अब यह पाकिस्तान से कम के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकृत किया क्योंकि इससे भावी पाकिस्तान की गंध आ रही थी। गाँधीजी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। बाद के किसी विद्वान ने इसमें दिवालिया बैंक जोड़ दिया। इस तरह कांग्रेस और सरकार के बीच किसी तरह का समझौता नहीं हो सका।

★ **भारत छोड़ो आंदोलन :-**

- ऐसी स्थिति में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गाँधीजी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जानें की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि "मै देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा।" इस बैठक में गाँधीजी के इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है, जब अंग्रेज भारत से चले जाए। इस बैठक में गाँधीजी को आंदोलन छेड़ने के लिए अधिकृत किया गया।
- आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया, जिसमें नेहरू ने कहा कि "हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे उपर भी पड सकती है।"
- 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमिटी की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त 1942 ई. को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। गाँधीजी ने भावुक शब्दों में कहा कि "अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा, करो या मरो।" गाँधीजी के बारे नें कांग्रेस के अधिकृत इतिहासकार पट्टाभि सीतारमैय्या ने लिखा कि "वास्तव में गाँधीजी उस दिन अवतार और पैगम्बर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे।"
- इस आंदोलन में कहा गया अगर नेता मौजूद नहीं हों तो प्रत्येक स्वयंसेवक अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। सरकार चौकन्ना हो गई और उसी रात ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के चोटी के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गाँधीजी को पूना के आगा खाँ पैलेस में भेज दिया गया और शेष नेताओं को अहमद नगर के किले में बंद कर दिया गया।
- नेताओं की अनुपस्थिति में जनता उग्र हो गई और 9 अगस्त और 14 अगस्त के बीच बंबई में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। 10-14 अगस्त के बीच कलकत्ता अशांत हो गया। 11 अगस्त के दिन पटना सचिवालय के सामने गोली चली, जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गईं। मध्य अगस्त तक आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया और उत्तरी और मध्य बिहार में एक जन आंदोलन शुरू हो गया। बिहार के भोजपुर क्षेत्र से यह आंदोलन उत्तर प्रदेश तक फैल गया। बनारस में हिंसक गतिविधियाँ तेज हो गई।
- संयुक्त प्रांत में बलिया एवं बस्ती, बंबई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर, उड़ीसा में तालचेर एवं बिहार के कुछ भागों ने इस आंदोलन के समय अस्थाई सरकारों की स्थापना हुई। स्थापित स्वशासित समानांतर सरकारों ने सर्वाधिक लंबे समय तक सतारा की सरकार रही, जिसका नेतृत्व नाना पाटिल ने किया। यहाँ न्यायदान मंडल (जनता की अदालतें) भी स्थापित की गई। अन्य प्रमुख नेता - वाई.वी. चौहान थे।

Scanned By KagazScanner

पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पाण्डेय के नेतृत्व में बनी। इन्होंने यहाँ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जिसका विस्तार बनारस और गाजीपुर तक था।

- मिदनापुर के तामलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 ई० तक चलती रही। यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक सशस्त्र विद्युतवाहिनी का भी गठन किया गया।
- कटक में रक्तवाहिनी नामक संगठन ने जनआंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरापुट में लक्ष्मणनायक नामक आदिवासी ने आंदोलन चलाया। तालचेर में मई 1943 तक छापामार गतिविधियाँ चलती रही।
- कृषक भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए और कृषक के जत्थे रात में सरकारी संस्थाओं पर हमले करने लगे। सरकार का दमनचक्र काफी उग्र हो गया। परिणामतः इस आंदोलन की कमर टूट गई।
- अंतिम चरण में आंदोलन की कमान छात्रों और बुद्धिजीवियों ने संभाला वे लोग गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष करने लगे। बिहार और नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण ने समानांतर सरकार स्थापित किया। जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अरूणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। बंबई में उषा मेहता ने कई महीने तक कांग्रेस रेडियों का प्रसारण किया। नवम्बर 1942 में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया।
- सरकार के दमनचक्र के आगे आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। इस चरण में गाँधीजी ने आंदोलनकारी हिंसक कार्यवाहियों की निंदा नहीं की वरन् सरकारी हिंसा के विरूद्ध इस हिंसा को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया माना। सरकारी हिंसा के विरूद्ध गाँधी जी ने जेल में ही अनशन प्रारंभ किया। अंततः उनकी स्थिति बिगड़ती गई। परंतु सरकार समझौता करने के लिए राजी नहीं थी। अंत में गाँधीजी ने स्वयं ही अनशन तोड़ दिया।
- मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रहा। उदारवादियों को भी यह आंदोलन नहीं भाया। तेजबहादुर सप्रू ने इसे अविचारित एवं असामयिक बताया, जबकि अम्बेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्व पूर्ण और पागलपन भरा कार्य बताया। हिंदू महासभा एवं अकाली दलों ने भी इसकी आलोचना की।
- सरदार पटेल ने कहा भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ, जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है।

13 फरवरी 1943 को सरकार ने इस आंदोलन में हुए हिंसा का पूरा दोष गाँधीजी और कांग्रेस पर थोप दिया। इस पर गाँधीजी ने 21 दिन का उपवास शुरू किया। 13वें दिन उनकी हालत काफी नाजुक हो गई। कहा जाता है कि सरकार आगा खाँ महल में उनके मौत का इंतजार करने लगी। सरकार की इस बर्बर नीति के विरोध में वायसराय की काउंसिल के सदस्य सर होर्मीमोदी, ए.एन. सरकार एवं अणे ने इस्तीफा दे दिया। 9 मई 1944 को गाँधीजी को रिहा किया गया। इसी बीच आगा खाँ महल में ही उनकी पत्नी कस्तूरबा एवं निजी सचिव महादेव गोसाई की मृत्यु हो चुकी थी।

★ **1942 ई. के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन** :- 1944 ई० में परस्वार्थ के आधार पर गाँधीजी को रिहा कर दिया गया। 1945 ई० में एटली की सरकार आयी और वायसराय लिनलिथगो के जगह वेवेल आया। मई 1945 ई० तक सारे नेता छोड़ दिए गए। 14 जून को भारत शासन अधिनियम के ही तहत सराकर कुछ और सुधार लाना चाहती थी। इसी आधार पर 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। जिसे 'वेवेल योजना' के नाम से जानते हैं। इसमें वायसराय ने एक प्रस्ताव रखा। वह था भारतीय द्वारा गठित सरकार को शासन संचालन के लिए नियुक्त करना।

Scanned By KagazScanner

रूप में लीग ने जोगेन मंडल को भेजा।

- 20 फरवरी 1947 में एटली की सरकार ने दो महत्वपूर्ण घोषणा की। प्रथम घोषणा में यह यह कि हर हालत में 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दूसरी उसने लॉर्ड माउण्टबेटन को वायसराय बनाकर भेजा। दूसरे तरफ भारत की परिस्थितियाँ ब्रिटिश के लिए अनुकूल नहीं रह गयी थी।

★ शाही नौसेना विद्रोह :-

- फरवरी 1946 ई. में बम्बई के तट पर नौसेना विद्रोह हो गया। यह विद्रोह युद्धपोत एन.एस. तलवार से शुरू हुआ और देखते देखते यह बंबई के तट पर स्थित 22 जहाजों में फैल गया। विद्रोहियों ने अपना नेता एम.एस. खान को चुन लिया। यह विद्रोह 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946 तक चलता रहा। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। बंबई में मजदूरों ने इसके लिए अपनी सहानुभूति दिखाई। विद्रोहियों की दो मुख्य मांगे थी - उनके साथ नस्लवादी व्यवहार नहीं किया जाए और आजाद हिंद फौज की सैनिकों को रिहा कर दिया जाए। उनकी एक मांग नाविक बी. सी. दत्त को रिहा करने की थी, जिन्हें जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत के साम्यवादी और समाजवादी दलों ने भी इसी के साथ सहानुभूति दिखाई।
- समाजवादी दल के नेता अरूणाआसफ अली ने उनके पक्ष में भाषण दिया। अंत में पटेल और मुहम्मद अली जिन्ना की अपील पर उन्होंने शस्त्र समर्पण कर दिया।
- स्वतंत्रता की ओर :- अब ऐसी स्थिति में माउंटबेटन ने स्वतंत्रता के समय सीमा को और भी कम

Scanned By KagazScanner

करना चाहा। माउंटबेटन को एक अन्य महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी इसमें का सहयोग मिल रहा था। ब्रिटिश कैबिनेट ने माउण्टबेटन को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी थी। माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की समय सीमा को कम करके 15 अगस्त 1947 कर दी। 3 जून1947 को माउण्टबेटन ने एक प्लान लाया। महात्मा गाँधी अभी कुछ निर्णय नहीं कर पाए थे तब तक नेहरू और पटेल ने विभाजन के पक्ष में निर्णय दे दिया। पटेल का मानना था कि विभाजित और असंगठित भारत की तुलना में उन्हें कटा-छँटा और स्वस्थ्य भारत चाहिए। माउंटबेटन प्लान के निम्नलिखित उपबंध थे - 1) सिंध और बलूचिस्तान के विधान परिषदों को निर्णय लेना था कि वे भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ। 2) पंजाब और बंगाल की विधान परिषदों को दोहरे निर्णय लेने थे - प्रथम क्या वे राज्य पाकिस्तान के साथ जाना पसंद करेंगे और अगर हाँ तो क्या राज्य का विभाजन भी होना है। 3) उत्तर पश्चिम सीमाप्रांत और असम के सिलहट जिले में प्रत्यक्ष संग्रह होना था। 4) चूँकि देश का विभाजन होना था इसलिए सीमा विभाजन के लिए सीमा आयोग गठित करने का प्रावधान था। 5) साथ ही भारतीय खजाना का बँटवारा होना था (55 करोड़ रूपया पाकिस्तान को)। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 18 जुलाई को इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिल गई एवं 15 अगस्त 1947 को इसे लागू किया गया और इसी के साथ देश आजाद हो गया।

Scanned By KagazScanner